

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अपगत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

मुकेश कुमार मीणा पुत्र लालाराम मीणा जाति मीणा आयु 39 साल निवासी ग्राम परासिया तहसील
किशनगढ़ जिला अजमेर राज.। -वादी।

बनाम

• रमेश पुत्र उगमाराम जाति मील बालिग निवासी ग्राम चौसला तहसील अंराई जिला अजमेर
राजस्थान व अन्य -प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 53,188 राज0 का0 अधि0 1955

दर्ज क्रमांक 0 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 147

वकील वादी :- श्री रामेश्वर लाल चौधरी

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
01/10/24	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री रामेश्वर लाल चौधरी ने अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 04.10.2024 को पेश हो। रामेश्वर लाल चौधरी उपखण्ड अधिकारी अंराई	
07/10/24	पत्रावली पेश हुई आज किशनगढ़ धारा 53,188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 04.10.2024 को पेश हो।	
10/10/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित / प्रतिवादीगणों के सम्म उपखण्ड अंराई अजमेर राज. का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया।	
29/11/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित अंराई अजमेर राज. का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया।	

पत्रवाली
पत्रवाली

पत्रवाली पत्र डी/ वरील परमात्त काय/ परिवारागळ
अनु/ पत्रवाली व यिह ह्मणिल सविधी व
जातीही- पत्रवाली ने कुमनिह इही यमा
अपार पत्रवाली दिनाड ११११५ दी पत्र ही
WR

११११५५ पत्रवाली पत्र डी/ वरील परमात्त काय/ परिवारागळ
न्यायालय नाम ने ह्मण कायने लगी वी जी/
निह परमात्त अनु/ पत्रवाली काय ही पत्र
पत्र ही ने खादीय अपार वपार पाकिवत नी
पत्र ही पत्रवाली काय ने स ही
WR